



2026:AHC:19281

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3006, वर्ष 2025

अब्दुल खालिक
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : बख्तियार युसुफ
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : अरुण कुमार पाण्डेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. यह जनहित याचिका (पी.आई.एल.) निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे खसरा संख्या **151** पर, जो 'खेल का मैदान' (वर्ग **6-4**) के रूप में दर्ज गाँव सभा की भूमि है, प्रतिवादी संख्या **6** द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएँ।

II. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को पहले पारित किए गए बेदखली के आदेशों का पालन करने का आदेश और निर्देश दिया जाए।

III. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक **22.03.2025** के अभ्यावेदन पर विचार करें और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित समयावधि के भीतर, शीघ्रतापूर्वक उसका निर्णय करें।

2. इस याचिका में यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, की धारा 122-B के तहत चल रही कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसे बेदखली और हर्जाने के आदेश के खिलाफ दायर बहाली याचिका को खारिज करते हुए बरकरार रखा गया है। इसमें अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के तहत पारित आदेश के पालन के लिए भी प्रार्थना की गई है।

3. शासकीय अधिवक्ता और गाँव सभा के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत हुई कार्यवाही में पारित आदेश को लागू करने/क्रियान्वित करने के लिए दायर यह जनहित याचिका (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं है।

4. मैंने तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B के तहत चल रही कार्यवाही में, संबंधित भूखंड के संबंध में तहसीलदार द्वारा बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया है, और बेदखली तथा हर्जाने के इस आदेश के विरुद्ध दायर बहाली की अर्जी भी खारिज कर दी गई है।

6. यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश के निष्पादन के लिए—जो पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B थी—यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैराग्राफ 460 के तहत उपाय प्रदान किया गया है; अतः, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-B जो अब U.P. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 है के तहत की गई कार्यवाही में पारित आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए वर्तमान जनहित याचिका (पीआईएल) को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

7. तदनुसार, यह पी.आई.एल. इस टिप्पणी के साथ खारिज की जाती है कि विधि के अनुसार, यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 में निहित प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद कुमार राय)

28 जनवरी 2026

सी.प्रकाश